संख्या:-04/2017/1472 ईजी/23-5-16-50(97)ईजी/2015

प्रेषक,

मोहन बाबू गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2017**

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद इलाहाबाद अन्तर्गत उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के परिसर में मा0 सदस्य आवास के नव-निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0-3250जी/71बी0पी0-विंग/2016, दिनांक 22-12-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद इलाहाबाद अन्तर्गत उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के परिसर में मा0 सदस्य आवास के नव-निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित लागत **रू0 58.44 लाख (रू0 अट्ठावन लाख चौवालिस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रू0 23.00 लाख (रू0 तेईस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- प्रश्नगत कार्य हेतु लो0नि0वि0 कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।
2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
5- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो जाय।
6- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
9- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
10- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

..../02..

http://shasanadesh.up.nic.in

11- प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु0-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25.01.2011 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्माण लागत में से लागत का 05 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि सम्बन्धित विभाग के प्राप्त लेखा शीर्षक में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके प्रशासकीय विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

12- प्रस्तावित कार्य हेतु आंकलित लागत में 01 प्रतिशत लेबर सेस उपकर की धनराशि श्रम विभाग को वास्तविक रूप में भुगतान किया जायेगा।

13- प्रस्तावित कार्य में सम्मिलित मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की 1.50 प्रतिशत धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-55 के अधीन आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-25-लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद परिसर में अतिथि गृह का निर्माण-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(मोहन बाबू गुप्ता)
विशेष सचिव

संख्या:-1472(1)ईजी/23-5-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
4- सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
5- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, इलाहाबाद।
7- अधीक्षण अभियन्ता, इलाहाबाद वृत्त, लो0नि0वि0, इलाहाबाद।
8- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, इलाहाबाद।
9- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-8
12- लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2
13- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश तिवारी)
उप सचिव

http://shramadesh.up.nic.in